

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या - 52/2016

बिरेन्द्र प्रसाद एवं अन्य बनाम् राज्य

आदेश की क्रम  
संख्या और  
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख

23-03-2018


:- आदेश :-


अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी अनुपस्थित। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी पिछले कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वाद के निस्तार हेतु अपीलार्थी की रूचि नहीं है। अतः उक्त दायर वाद में अपीलार्थी की अरूचि एवं उदासीनता को देखते हुए अभिलेख में संलग्न कागजातों के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है।

अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन के साथ निम्न न्यायालय द्वारा राज्यसात वाद संख्या 29/2015, 30/2015 एवं 31/2015 में दिनांक 22.08.2016 को पारित आदेश की सत्यापित प्रति तथा अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असहमत होने का कोई ठोस आधार नहीं है।

उक्त परिपेक्ष्य में उक्त अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन पोषणीय नहीं है। अतः प्रवृष्टि के बिन्दु पर ही अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

  
23/3/18  
उपायुक्त,  
रामगढ़।

  
23/3/18  
उपायुक्त,  
रामगढ़।